संख्या–2485/81-2-2022-800(172)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 15 सितम्बर 2022

विषय- जनपद आगरा में चंदौसी-आगरा-तांतपुर कोट मार्ग (एस0एच0-39) के किमी0 0.236 के चैनेज 235.030 ग्राम रैना नगर, तहसील खेरागढ एवं किमी0 संख्या-245 के चैनेज 244.010 ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ पर निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा राज्य सडक निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग संख्या-39 की बांयी पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/152381/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/143/2022/एफसी/273 दिनांक 20.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-851/एफसी/यूपी/रोड/152381/2022 दिनांक 05.09.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 05.09.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 14-09-2022 19:16:37
Reason: Approved

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner